

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 20.02.2019

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4169/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 की पालना में डा. चन्द्रशेखर तंवर, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरसारन, डूंगरपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है डा. चन्द्रशेखर तंवर, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर से सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन उदयपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, डूंगरपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि डा. चन्द्रशेखर तंवर, चिकित्सा अधिकारी ने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4169/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 की पालना में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही सीधे ही कार्यग्रहण किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अतः उक्त कृत्य के लिए डा. तंवर के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत निदेशक, जन स्वास्थ्य को अविलम्ब आरोप पत्रादि भिजवावें।
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./सी-75/2019/ 366 दिनांक . 05/03/2019  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि डॉ चन्द्रशेखर तेंवर, चिकित्सा अधिकारी ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01/11/2018 की पालना में बिना राक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही सीधे ही कार्यग्रहण किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अतः उक्त कृत्य के लिये डॉ तेंवर के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि पत्र प्राप्ति के सात दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 4 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, डूंगरपुर।
- 5 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/गोपनीय (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
- 6 डॉ चन्द्रशेखर तेंवर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र का विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।